COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 पुनरीक्षण R - 4168 - III/14

1. रामजियावन गुप्ता पुत्र श्री भैयालाल गुप्ता
2. रविशंकर गुप्ता पुत्र श्री रामजियावन गुप्ता
निवासीगण चौका सोनवर्षा तह मऊगंज
जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती रामवती बेवा स्व. श्री दुकौडीलाल गुप्ता निवासी चौकासोनवर्षा तह. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक 11-12-14 को

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
11-12-14 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत देवतालाब जिला रीवा द्वारा रा.प्र.कं. 70/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2014 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख.नं. 101/2ख/ रकवा 0.13 डि., 101/2ख/4 रकवा 0.22 डि. 101/2ख/6 रकवा 0.39 डि. कुल रकवा 0.74 डि. भूमि चौका सोनवर्षा तहसील मऊगंज में स्थित है। इसी प्रकार ख.नं. 101/2/क/1 रकवा 0.284 हे. (0.76 डि.) अनावेदक श्रीमती रामवती के स्वत्व स्वामित्व की भूमि है।

3– यह कि, अनावेदक श्रीमती रामवती को आपसी हिस्सा बांठ में 0.76 डि. भूमि प्राप्त हुई थी। अनावेदक श्रीमती रामवती ने ख.नं. 101/2क/1 रकवा 0.06

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—4168—तीन/2014 जिला— रीवा

रामजियावन गुप्ता व अन्य विरूद्ध श्रीमती रामवती व मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री मनीष शर्मा अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त देवतालाब जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 70/अ—12/2011—12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 13—10—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवतालाब को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 15—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 20/3/19 (आर.के. जैन) सदस्य	